



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-214

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 276468 दिनांक 07/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Kailash Narayan Sharma S/o RAM KISHOR SHARMA एवं Vijay Shanker Sharma S/o RAM KISHOR SHARMA	श्रीमती तीजा देवी शर्मा पत्नी श्री रामकिशोर शर्मा	190	90.00 SQ. METER	JDA	MAHAL YOJANA-D Sector/Block-	Name Transfer	जविप्रा की योजना महल के आवासीय भूखण्ड संख्या डी-190 क्षेत्रफल 90.00 व.मी. की लीजडीड श्रीमती तीजा देवी शर्मा पत्नी श्री रामकिशोर शर्मा के नाम से दिनांक 28.05.2002 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्रीमती तीजा देवी की दिनांक 01.03.2017 एवं रामकिशोर शर्मा की दिनांक 28.01.2016 को मृत्यु हो चुकी है। तीजा देवी द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूखण्ड को बराबर-बराबर हिस्से अनुसार अपने दोनो पुत्र श्री कैलाश नारायण व विजय शंकर शर्मा पुत्रान स्व. श्री रामकिशोर शर्मा को कर दिया गया। आवेदकगण श्री कैलाश नारायण व विजय शंकर शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण मे अपंजीकृत वसीयत के आधार पर भूखण्ड को दिया गया है।
---	--	---	-----	--------------------	-----	--	------------------	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kailash Narayan Sharma S/o RAM KISHOR SHARMA एवं Vijay Shanker Sharma S/o RAM KISHOR SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |